प्रकरण संख्या 19/2021 भंवरलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 64 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मजावद में साबिक आराजी नंबर 1529 में वादी का 2 बीघा भूमि में स्वत्व व आधिपत्य है। उक्त साबिक आराजी के हाल आराजी नंबर 2367 रकबा 11.9500 हैक्टर हैं। साबिक आराजी में से 2 बीघा भूमि वादी के पिता को जरिये आवंटन संख्या 1813 दिनांक 19.10.1974 से की गयी, तब से वादी के पिता का एवं उनकी मृत्यु पश्चात वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिमि में वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुका है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त आराजी में आवंटित 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22.02.2021 से वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन तो माना है, किन्तु कब्जा नहीं होना मानते हुए वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में किये गये आवंटन एवं कब्जे को स्वीकार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर वाद डिक्री किया जावे। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 19/2021 भंवरलाल बनाम सरकार

की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में अपीलान्ट/वादी के पक्ष में किये गये आवंटन को तो माना है किन्तु मौके पर कब्जा साबित नहीं होना मानते हुए वाद खारिज किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 में अपीलान्ट का कब्जा होना अंकित है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 80/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:57 IST
Reason: SelfAttested